भारतीय कपास निगम लिमिटेड

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम/A Government of India Undertaking)

कपास भवन, 27-ए, रेसकोर्स रोड, इंदौर – 452003 (म.प्र.)

'Kapas Bhawan, 27-A, Race Course Road, Indore – 452003 (M.P.)

दूरभाष/Telephone No. : 2434136,2547877 फैक्स/Fax : 0731-2530523

मेल : indore@cotcorp.com **वेबसाईट** www.cotcorp.org.in Ministry Website : www.ministryoftextiles.gov.in

श्रम कार्य (**जॉब वर्क) हेतु ठेकेदारों की नियुक्ति हेतु अल्पावधि निविदा सूचना**

(SHORT TERM TENDER NOTICE)

फसल वर्ष 2023-24 के लिये निगम अपने प्रस्तावित केन्द्रों:-**खरगोन, भीकनगांव, खण्डवा, मूंदी, बडवाह, करही, सनावद एवं बुरहानपुर** के लिये श्रम कार्य (जॉब वर्क) ठेकेदारोंसे अल्पावधि निविदाएँ आमत्रित करता है:-

	निविदा जमा करने का अंतिम समय व दिनांक	निविदा खोलने का समय व दिनांक
श्रम कार्य (जॉब वर्क)	11.00 AM दिनांक 11.09.2023	11.30 AM दिनांक 11.09.2023

विस्तृत जानकारी नियम व शर्ते ,निविदा का प्रारूप निगम की वेबसाईट www.cotcorp.org.in एवं सरकारी वेबसाईट http://eprocure.gov.in पर भी देखी जा सकती है । निविदा का प्रारूप एवं शर्ते उपरोक्त पते पर कार्यालय दिवस/समय में कार्यालय से भी प्राप्त किये जा सकते है ।

शाखा प्रबंधक

भारतीय कपास निगम लिमिटेड

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम/A Government of India Undertaking)

कपास भवन, 27-ए, रेसकोर्स रोड, इंदौर – 452003 (म.प्र.)

'Kapas Bhawan, 27-A, Race Course Road, Indore – 452003 (M.P.)

दूरभाष/Telephone No. : 2434136,2547877 फैक्स/Fax : 0731-2530523

मेल : indore@cotcorp.com **वेबसाईट** www.cotcorp.org.in Ministry Website : www.ministryoftextiles.gov.in

दि.04.09.2023

श्रम कार्य (जॉब वर्क) हेतु ठेकेदारों की नियुक्ति हेतु अल्पावधि निविदा सूचना

(SHORT TERM TENDER NOTICE)

फसल वर्ष 2023-24 के लिये निगम अपने प्रस्तावित केन्द्रों - खरगोन, भीकनगांव, खण्डवा ,मूंदी, बडवाह , करही ,सनावद एवं बुरहानपुर पर तथा इन केन्द्रों के आस पास गोदामो पर रूई की गॉठों के लिये जॉब वर्क ठेकोंदरो की नियुक्ति टू बिड-टेण्डर प्रणाली से करना चाहता है । निविदा आवेदन-पत्र एवं निविदा की शर्ते शाखा कार्यालय , इंदौर एवं सभी सम्बन्धित क्रय केन्द्रों से निविदा जारी होने की दिनांक से किसी भी कार्यदिवस पर दिनांक 08.09.2023 सायं 06.00 बजे तक 118/- रूपये शुल्क (या आरटीजीएस स्वीकार्य .डी.केवल डी)देकर प्राप्त की जा सकती हैं । जॉब वर्क हेतु मुहरबंद निविदायें धरोहर राशि के साथ दिनांक 11.09.2023 को सुबह 11.00 बजे तक जमा करवाना अनिवार्य है । निर्धारित समय में प्राप्त जॉब वर्क निविदायें उसी दिन अर्थात 11.09.2023,को 11 .30 बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जायेगी । धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट " दि कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड" के नाम से इंदौर में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराना होगी । पूर्व वर्षो की जमा धरोहर राशि पर विचार नहीं किया जायेगा । जॉब वर्क हेतु धरोहर राशि रूपये 20,000/- प्रति केन्द्र होगी । एमएसई फर्मों को वैध MSE द्वारा सम्बंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर वे निविदा शुल्क एवम EMD राशि से मुक्त रहेंगे, हालाँकि अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले सफल निविदाकर्ताओ को रूपये 20000/-की सुरक्षा राशी (SECURITY DEPOSIT) शाखा कार्यालय में जमा करनी होगी ।

जिन जॉब वर्क ठेकेदारों के पास पी.एफ. कमिश्नर द्वारा पी.एफ. नंबर एवं आयकर विभाग द्वारा PAN नंबर प्राप्त होंगे एवं जिन परिवहनकर्ताओ के पास PAN नंबर होंगे, ऐसे ठेकेदार/ जॉब वर्क ठेकेदारों की नियुक्ति के लिये निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं । ठेकेदार लेबर एक्ट/न्यूनतम मजदूरी एक्ट/फैक्टरी एक्ट इत्यादि की अनुपालना के लिये जिम्मेदार होगा । यदि आवेदनकर्ता के पास GST Registration Number है तो प्रस्तुत करे तथा आधार कार्ड की प्रति लगाये ।

किसी भी निविदा को सम्पूर्ण तथा आंशिक रूप से स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है ।निविदा निगम की वेबसाईट www.cotcorp.org.in एवं सरकारी वेबसाईट www.eprocure.gov.in पर भी देखी जा सकती है ।

शाखा प्रबंधक

भारतीय कपास निगम लिमिटेड

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम/A Government of India Undertaking)

कपास भवन, 27-ए, रेसकोर्स रोड, इंदौर – 452003 (म.प्र.)

'Kapas Bhawan, 27-A, Race Course Road, Indore – 452003 (M.P.)

दूरभाष/Telephone No. : 2434136,2547877 फैक्स/Fax : 0731-2530523

मेल : indore@cotcorp.com **वेबसाईट** www.cotcorp.org.in Ministry Website : www.ministryoftextiles.gov.in

कपास मौसम वर्ष 2023-24 के लिये जॉब वर्क की अल्पावधि निविदा के लिये नियम एवं शर्ते

(SHORT TERM TENDER NOTICE)

1. **जॉब वर्क के लिये** निविदा निर्धारित आवेदन – प्रपत्र में ही दी जाये अन्यथा मान्य नहीं होगी ।

2. निविदाकर्ताओं को निम्नानुसार निविदा प्रस्तुत करनी होगी ।

लिफाफा "क"	:	**लिफाफा "क" पर तकनीकी बीड लिखकर उसमें तकनीकी बीड- I रखें ।**
लिफाफा "ख"	:	**लिफाफा "ख" पर वित्तीय बीड लिखकर उसमें वित्तीय बीड –II रखें।**
लिफाफा "ग"	:	**लिफाफा "ग" पर "जॉब कार्य हेतु निविदा – मौसम वर्ष 2023-24 लिखकर उसमें लिफाफा "क" एवं "ख" रखें ।**
टिप्पणी	:	हर लिफाफे पर निविदाकर्ता का नाम व पता होना चाहिये ।

3. तकनीकी बीड –I में सफल हुए निविदाकर्ताओं की ही वित्तीय बीड –II खोली जायेगी ।

4. **निविदायें निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 11.09.2023 को सुबह 11.00 बजे तक शाखा कार्यालय इंदौर में जमा करवाना अनिवार्य है** । निर्धारित समय में प्राप्त **निविदायें दिनांक 11.09.2023 को सुबह 11.30 बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जायेगी ।**

5. एक केन्द्र के लिये धरोहर राशि 20,000/- होगी । निविदा के साथ रूपये 20,000/- " दि कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड" के नाम से इंदौर में देय राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा रद्द कर दी जायेंगी । **प्रत्येक केन्द्र के लिए अलग-अलग निविदा एवं धरोहर राशि भरनी होगी** । पूर्व में जमा किसी भी राशि का समायोजन नही किया जायेगा । एमएसई फर्मों को वैध MSE द्वारा सम्बंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर वे निविदा शुल्क एवम EMD राशि से मुक्त रहेंगे हालांकि अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले सफल निविदाकर्ता को रूपये 20000/-की सुरक्षा राशी (SECURITY DEPOSIT) शाखा कार्यालय में जमा करनी होगी ।

6. ठेकेदार पाक्षिक आधार पर बिल प्रस्तुत करेगा जिसका भुगतान शाखा कार्यालय में प्राप्ति दिनांक से 15 दिन के पश्चात ड्राफट/NEFT/RTGS द्वारा कर दिया जायेंगा । आयकर नियमावली के अनुसार आयकर व सरचार्ज की कटौती बिल से की जायेंगी इसलिये जॉब ठेकेदार का PAN नंबर होना अनिवार्य हैं । आयकर विभाग से प्राप्त PAN नंबर की फोटोप्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है ।

7. निविदा आवेदनकर्ता द्वारा किये जाने वाले श्रम कार्य की दरें समस्त कर आदि सहित भरी जाये । बिलों का भुगतान सर्विस टैक्स, टीडीएस एवं अन्य कर के तत्कालीन नियमानुसार काटकर किया जायेगा ।

8. यदि ठेकेदार द्वारा नियुक्त की गयी लेबर द्वारा श्रम कार्य के दौरान असावधानी/लापरवाही के कारण निगम को किसी प्रकार की जनहानि/क्षति/दुर्घ्टना/हानि होती है तो उसकी वसूली ठेकेदार से की जाएगी एवं ऐसी परिस्थिति में निगम दूसरे किसी ठेकेदार की नियुक्ति कर सकता है ।

9. निर्धारित कार्य निष्पादन के लिये नियत समयावधि के अन्दर समुचित लेबर की व्यवस्था करनी होगी ।

10. निगम न्यूनतम कार्य देने के लिये बाध्य नहीं है तथा केन्द्र पर उपलब्ध कार्य सुचारू रूप से करना होगा ।

11. ठेकेदारों द्वारा विभिन्न प्रकार के श्रम कार्य कानून जैसे- फैक्टरी एक्ट, न्यूनतम मजदूरी एक्ट, लेबर एक्ट एवं भविष्य निधि (पी.एफ.एक्ट),बाल श्रम कानून इत्यादि के समस्त प्रावधानों का अक्षरश अनुपालन अनिवार्य है । श्रम ठेकेदार के द्वारा पी.एफ. कोड तथा पी.एफ; चालान की कापी प्रस्तुत करना अनिवार्य है इससे सबंधित औपचारिकतायें पूरी नही किये जाने की अवस्था में ठेकेदारों के बिल से 27% की कटौती प्रोवीडेन्ट फंड के रूप में की जायेगी । पी.एफ. चालान की कापी श्रमिको के नाम सहित मासिक आधार पर जमा करवाना अनिवार्य है ।

12. जॉब ठेकेदार द्वारा जॉब कार्य के लिये नियुक्त सभी श्रामिकों को देय वेतन से प्रोवीडेन्ट फंड की कटौती की राशि नियोक्ता के द्वारा समान अंशदान राशि के साथ भविष्य निधि आयुक्त को अनिवार्य रूप से प्रेषित करनी होगी तथा जमा करने की रसीद/चालान की छायाप्रति श्रमिकों के नाम तथा राशि सहित मासिक आधार शाखा कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी ।

13. अगर ठेकेदार सन्तोषजनक कार्य के निष्पादन में असमर्थ रहता है तो निगम को यह अधिकार होगा कि निगम के साथ किये गए अनुबंध को निरस्त कर दे, निगम के द्वारा ठेकेदार द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी एवं सुचार रूप से कार्य निष्पादन हेतु अन्य व्यवस्था कर ली जायेगी एवं दरों के अंतर की वसूली भी पूर्व अनुबंधित ठेकेदार से की जायेगी ।

14. **नियुक्त ठेकेदार को निर्धारित शर्तो के अनुसार Non Judicial स्टॉम्प पेपर रूपये 500/- पर अनुबंध करना होगा** ।

15. ठेकेदार की अवधि नियुक्ति तिथि से 30.09.2024 या फसल वर्ष 2023-24 की गांठो की निकासी तक एवं निगम की आगामी कपास फसलवर्ष की निविदा की दरें निर्धारित होने तक होगी ।

16. यदि ठेकेदार निगम के अनुबंध की शर्तो के अतिरिक्त अन्य शर्तो के साथ प्रस्ताव-पत्र देता है तो वह मान्य नही होगा ।

17. यदि कोई जिनिंग प्रेसिंग फैक्टरी जॉब कार्य हेतु निविदा भरती है तो वे भी स्वीकार्य होगी ।

18. राज्य अथवा केंद्र के श्रम अधिनियिम के अन्तर्गत यदि परमिट/ लाइसेंस लेना आवश्यक है तो श्रम ठेकेदार लेकर उसकी प्रति भारतीय कपास निगम लिमिटेड, इंदौर को भेजेंगे तथा आवश्यकता पडने पर श्रम अधिकारी आदि को उपलब्ध करायेगे ।

19. इस निविदा के बाहर अथवा इससे संबधित किसी प्रकार का विवाद उठता है तो यह माना जायेगा कि वाद कारण इंदौर के क्षेत्राधिकार में उठाया गया है ।

20. निगम किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है हांलाकि निविदाकर्ता निविदा के अस्वीकार करने का कारण शाखा कार्यालय से पूछ सकते है ।

21. <u>वर्क कान्ट्रेक्टर या उसके किसी कर्मचारी को काम के समय पर किसी भी तरह की जनहानि/क्षति/ एवं दुर्घटना होने पर निगम किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा । बीमा आदि की पूर्ण जिम्मेदारी वर्क कान्ट्रेक्टर की होगी ।</u>

22. वर्क कॉन्ट्रेक्टर के द्वारा निगम की पल्लिया, त्रिपालों, बारदाना को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुचाया जाता है तो उसकी वसूली बिलों/जमानत राशि में से की जायेगी ।

23. निगम के समस्त कार्यो के लिए जॉब वर्क कॉन्ट्रेक्टर समुचित मात्रा में साधन उपलब्ध करवायेगा । केन्द्र पर किसी भी प्रकार का मतभेद होने पर जॉब वर्क कॉन्ट्रेक्टर, केन्द्र प्रभारी का निर्णय मानने के लिए बाध्य होगा ।

24. वर्क कॉन्ट्रेक्टर आवश्यकता पडने पर अपने क्षेत्र निरीक्षक के समक्ष अपने नामांकन का लाईसेस/दस्तावेज प्रस्तुत करेगा । वर्क कॉन्ट्रेक्टर न्यूनतम वर्क एक्ट ,वर्क क्षतिपूर्ति नियम एवं बालमजदूरी अधिनियम का अनुपालन हेतु कानूनी दायित्व के लिए पूर्ण जिम्मेदार होगा जिसमें समय से भुगतान भी शामिल है । किसी भी प्रकार के नियमों की अवहेलना/उल्लंघन करने पर निगम को आवश्यक भुगतान करने व नुकसान की राशि वर्क कॉन्ट्रेक्टर के बिलों से /जमानत राशि से वसूल करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

25 प्राप्त केन्द्र की दरें निगम द्वारा लिए गये केन्द्र के आस-पास लगभग 15 से 20 किलोमीटर तक के गोदामें पर लागू रहेगी ।

26 दरें सभी करो के साथ होना चाहिए एवम GST को छोड़कर (Excluding GST) ।

27 प्रत्येक बिल भुगतान में से 10% राशि काटी जायेगी तथा धरोहर राशि सम्पूर्ण कार्य निष्पादन के बाद बिना किसी ब्याज के वापस की जायेगी ।

<u>मध्यस्थता:</u>

इस संविदा से सम्बन्धित कोई विवाद उठता है तो यह विवाद मध्यस्थता के लिये किसी मध्यस्थ (जो निगम का कर्मचारी नहीं होगा) को सौपा जायेंगा । मध्यस्थ की नियुक्ति सबंन्धित शाखा का शाखा प्रबन्धक करेगा और मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा । मध्यस्थता एवं समाधान अधिनियम 1996 तथा उसके बाद किसी सांविधिक पुन: अधिनियम तथा संशोधन के प्रावधान के अनुसार नियंत्रित और आयोजित किया जायेगा ।

28. उपरोक्त उल्लेंखित किसी भी नियम एवं शर्तो का अगर जॉब वर्क ठेकेदारों द्वारा उल्लंधन किया जाता है या ठेकेदार निगम के किसी कार्य का निष्पादन संतोषजनक रूप से करने में असफल रहता है तो निगम को ठेकेदार का ठेका निरस्त करने तथा प्रतिभूति राशि जब्त करने का अधिकार होगा तथा निगम वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु स्वतंत्र होगा तथा **जॉब वर्क ठेकेदार को भविष्य में निगम के कार्य का ठेका नही दिया जायेगा तथा निगम को यह अधिकार होगा कि वह 3 दिन का नोटिस देकर इस अनुबन्ध को रद्द कर दे । यदि निविदाकर्ता किसी कार्य विशेष को निर्धारित समय में पूरा करने में असफल रहता है तो निगम को अधिकार होगा कि उस कार्य विशेष को किसी अन्य ठेकेदार/व्यक्ति से करवा ले तथा उक्त ठेकेदार/व्यक्तिको भुगतान की गई अधिक राशि को निगम अनुबंधित ठेकेदार से वसूल करे ।**

29. जॉब वर्क ठेकेदार को जो भी भुगतान निगम से प्राप्त होगा उसके संदर्भ में प्रमाण-पत्र देगा कि उसके द्वारा अपने श्रमिकों को भुगतान कर दिया गया है ।

उपरोक्त सभी नियम एवं शर्ते मैंने पढ ली एवं समझ ली है जो कि मुझे मान्य है ।

स्थान _____ जॉब वर्क ठेकेदार के हस्ताक्षर _____

दिनांक _____ जॉब वर्क ठेकेदार का नाम व पता _____

_____

केन्द्र का नाम _____

1. प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम, पता एवं हस्ताक्षर

_____
_____
_____

2. प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम, पता एवं हस्ताक्षर

_____
_____
_____

भारतीय कपास निगम लिमिटेड

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम/A Government of India Undertaking)

कपास भवन, 27-ए, रेसकोर्स रोड, इंदौर – 452003 (म.प्र.)

'Kapas Bhawan, 27-A, Race Course Road, Indore – 452003 (M.P.)

दूरभाष/Telephone No. : 2434136,2547877 फैक्स/Fax : 0731-2530523

मेल : indore@cotcorp.com **वेबसाईट** www.cotcorp.org.in Ministry Website : www.ministryoftextiles.gov.in

BID-I

निविदा फार्म नंबर . : _____ निविदा फार्म शुल्क: Rs.118/- Including GST

निविदा फार्म दिनांक : _____ (एक सो अठारह रुपये मात्र)

निविदा फार्म वितरित करने की अंतिम दिनांक : **08.09.2023 up to 06.00 P.M**

निविदा फार्म जमा करने की अंतिम दिनांक : **11.09.2023 up to 11.00 A.M.**

जॉब वर्क हेतु टेण्डर की तकनीकी बीड (Technical Bid)कपास सत्र (2023-24)

1. जॉब ठेकेदार का नाम/ पिता का नाम : _____
2.. पत्राचार के लिये पूरा डाक पता : _____
3. पूरे केन्द्र के लिये टेण्डर भरा जाना है : केन्द्र _____ **गोदाम** _____
4. धरोहर राशि का विवरण : डी.**डी.नंबर**_____ **दिनांक** _____
   राशि_____ **बैंक** _____
5. (PF) भविष्य निधि कोड नंबर एवं उसका विवरण (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गयें प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है) : _____
6. PAN नंबर (अनिवार्य) फोटो कॉपी सलग्न करे : _____
7. बिल की राशी NEFT/RTGS से प्राप्त करने :- हेतु बैंक का विवरण (पासबुक की फोटो कॉपी सलग्न करे) : बैंक का नाम :_____खाते का प्रकार _____
   : खाताधारक का नाम _____
   : A/C Number_____ _IFS Code_____
   : शाखा का नाम_____MICR Code_____
8. **आधार कार्ड नंबर** (फोटो कॉपी सलग्न करे) : _____
9. **GST** रजिस्ट्रेशन नंबर (फोटो कॉपी सलग्न करे): _____
10 स्थाई पता : _____
11 **MSE** रजिस्ट्रेशन नंबर (वैधता के साथ फोटो कॉपी सलग्न करे)_____
12. दूरभाष नंबर : Land Line No ._____Mobile No . __

दिनांक :--------- **जॉब वर्क ठेकेदार का नाम हस्ताक्षर एवं सील----------**

नोट:- जॉब ठेंकेदार की फर्म की सील अवश्य लगायें अथवा नाम की सील लगाये ।

BID-II

जॉब वर्क हेतु टेण्डर की वित्तीय बीड (Financial Bid) कपास सत्र: 2023-24

फैक्टरी प्रांगण के अंदर किये जाने वाले विविध जॉब कार्यो का क्रम अनुसार विवरण

क्रं.सं.	कार्य का विवरण
1	तौल उपरान्त किसान के वाहन से कपास की Unloading से लेकर सभी कार्य करने एवं कपास दड़े पर आसर पदार्थ की चुगाई व जिनहाल पर जीन के पश्चात बचें हुए कपास की चुगाई एवं कपास दड़े की सफाई हेतु ।
2	जिन हाऊस में अंदर तथा जिनिंग के समय गिरने वाली कपास एवं रूई की सफाई हेतु एवम अन्य विविध कार्य हेतु
3	बिनौला ढेर के ऊपर बिनौले में से रूई निकालने तथा तौल के पश्चात बिनौले को इकट्ठा करने हेतु ।
4	प्रेसिंग के समय रूई से असार पदार्थ निकालने हेतु (जिसमें प्रेसिंग के पश्चात बची हुई रूई को इकटठा करना एवं साफ करना भी शामिल
5	प्रेस से निकलने वाली गॉठों में तौल एवं लोडिंग के समय तथा अन्य विविध कार्य हेतु।

उपरोक्त कार्य (क्रम संख्या 01 से 05 तक) संतोषजनक तरीके से डी आर मशीनों पर पर्याप्त संख्या में मजदूरों आदि द्वारा सम्पन्न होने हेतु दरें :-

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	दर रूपये में
I	उपरोक्त कार्य हेतु दर प्रति क्विंटल (क्र.स.01 से 05 तक सम्पूर्ण कार्य)	
II	कपास का दड़ा लगवाई प्रति क्विंटल()Unloading point से कपास दड़े की जगह पर ले जाना तथा दड़ा लगाना	
III	सेंपल कटिंग(पूरे फसल वर्ष में फैक्टरी/गोदाम/वेयरहाऊस) **(यह दर फिक्स रहेगी तथा सैम्पल कटिंग के स्थान तक जाने व आने के व्यय सहित)**	
IV	कपास दड़ा पलटवाई प्रति क्विंटल	
V	बिनौला दड़ा पलटवाई प्रति क्विंटल	
VI	कपास बिनोला दडे को तिरपाल से ढकना /हटाना /घडी कर सुरक्षित रखना - **(यह दर फिक्स रहेगी (** रूपये प्रति हीप)	
VII	**स्थानीय भंडारण के** लिये ट्रक /ट्रेक्टर आदि में गांठो की लोडिंग)loading) की दर रूपये प्रति गांठ	
(VIII)	**अन्य भण्डारण स्थल हेतु भंडारण के** लिये ट्रक आदि में गांठो की लोडिंग)loading) की दर रूपये प्रति गांठ	

नोट - क्रम संख्या I एवं II के लिये प्राप्त दरो के कम ओसत (average)की दर को L-1 माना जायेगा

नोट :-दरे सभी करो को सम्मिलित करते हुये दी जाए (Rate Excluding GST)

(Non Judicial स्टॉम्प पेपर रूपये 500/- पर अनुबंध पत्र)

AGREEMENT FOR JOB(LABOUR) WORK CONTRACTORS OR COTTON SEASON 2023-24

AN AGREEMENT MADE AT …….. ON THIS _____ DAY OF _____ 20_____BETWEEN THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED, A COMPANY REGISTERED UNDER THE COMPANIES ACT, 2013HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT , MUMBAI 400 021.(HEREIN AFTER FOR BREVITY'S SAKE, CALLED THE "CORPORATION" WHICH EXPRESSION SHALL UNLESS REPUGNANT TO THE CONTEXT OR MEANING THEREOF INCLUDE ITS SUCCESSORS AND ASSIGNS) OF THE FIRST PART AND A PROPRIETORSHIP FIRM / PARTNERSHIP / CO-OPERATIVE SOCIETY M/s_____ _____REPRESENTATED BY IT PROPRIETOR/PARTNER _____JOB WORK CONTRACTOR (HEREIN AFTER FOR BREVITY'S SAKE CALLED "THE JOB WORK CONTRACTOR" WHICH EXPRESSION SHALL UNLESS REPUGNANT TO THE CONTEXT OR MEANING THEREOF INCLUDE ITS SUCCESSORS AND ASSIGNS) OF THE SECOND PART AND WHEREAS THE JOB WORKS CONTRACTOR HAS AGREED TO DO THE WORK OF JOB WORK AT GODOWNS FOR THE CORPORATION DURING THE COTTON SEASON 2023 -24 (I.E. 01-10-2023 TO 30-09-2024) ON CONTRACT BASIS.

AND WHEREAS THE CORPORATION HAS ACCEPTED THE OFFER ON THE TERMS & CONDITIONS CONTAINED AS FOLLOWS:-

I/ WE SHRI/M/S_____ CONTRACTOR TO DO THE JOB WORK, ACCORDING TO THE SPECIFICATION AND SATISFACTION OF THE CORPORATION AT VARIOUS GODOWNS NOMINATED BY THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD. BO, …… AT _____ OUR PROVIDENT FUND CODE NO._____ AND INCOME TAX PAN NO._____

01. यदि ठेकेदार द्वारा नियुक्त की गयी लेबर द्वारा श्रम कार्य के दौरान असावधानी/लापरवाही के कारण निगम को किसी प्रकार की जनहानि/क्षति/दुर्घ्टना/हानि होती है तो उसकी वसूली ठेकेदार से की जाएगी एवं ऐसी परिस्थिति में निगम दूसरे किसी ठेकेदार की नियुक्ति कर सकता है ।

02. निर्धारित कार्य निष्पादन के लिये नियत समयावधि के अन्दर समुचित लेबर की व्यवस्था करनी होगी ।

03. निगम न्यूनतम कार्य देने के लिये बाध्य नहीं है तथा केन्द्र पर उपलब्ध कार्य सुचारू रूप से करना होगा ।

04. ठेकेदारों द्वारा विभिन्न प्रकार के श्रम कार्य कानून जैसे- फैक्टरी एक्ट, न्यूनतम मजदूरी एक्ट, लेबर एक्ट एवं भविष्य निधि (पी.एफ.एक्ट), बाल श्रम कानून, भविष्य निधि कानून, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, (WORKMEN COMPENSATION ACT),Bonus act, shops and establishment act, **इत्यादि के समस्त प्रावधानों का अक्षरश अनुपालन अनिवार्य** है । श्रम ठेकेदार के द्वारा पी.एफ. कोड तथा पी.एफ; चालान की कापी प्रस्तुत करना अनिवार्य **है, पी.एफ. चालान की कापी श्रमिको के नाम सहित मासिक आधार पर जमा करवाना अनिवार्य है** अन्यथा **इससे सबंधित औपचारिकतायें पूरी नही किये जाने की अवस्था में ठेकेदारों के बिल से 27% की कटौती प्रोवीडेन्ट फंड के रूप में की जायेगी ।**

05. जॉब ठेकेदार द्वारा जॉब कार्य के लिये नियुक्त सभी श्रामिकों को देय वेतन से प्रोवीडेन्ट फंड की कटौती की राशि नियोक्ता के द्वारा समान अंशदान राशि के साथ भविष्य निधि आयुक्त को अनिवार्य रूप से प्रेषित करनी होगी तथा जमा करने की रसीद/चालान की छायाप्रति श्रमिकों के नाम तथा राशि सहित मासिक आधार शाखा कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी ।

06. अगर ठेकेदार सन्तोषजनक कार्य के निष्पादन में असमर्थ रहता है तो निगम को यह अधिकार **होगा कि** निगम के साथ **किये गए अनुबंधको निरस्त कर दे,** निगम के द्वारा ठेकेदार द्वारा जमा करायी गयी **धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी एवं सुचार रूप से कार्य निष्पादन हेतु अन्य व्यवस्था कर ली जायेगी एवं दरों के अंतर की वसूली भी पूर्व अनुबंधित ठेकेदार से की जायेगी ।**

07. ठेकेदार की अवधि नियुक्ति तिथि से 30.09.2024 या फसल वर्ष 2023-24 की गांठो की निकासी तक एवं निगम की आगामी कपास फसलवर्ष की निविदा की दरें निर्धारित होने तक होगी ।

08. अनुबंध अवधि के दौरान ,यदि ठेकेदार निगम के अनुबंध दरो एवं की शर्तो के अतिरिक्त, अन्य शर्तो एवं नवीन दरो के साथ प्रस्ताव-पत्र देता है तो वह मान्य नही होगा ।

09. राज्य अथवा केंद्र के श्रम अधिनियिम के अन्तर्गत यदि परमिट/ लाइसेंस लेना आवश्यक है तो श्रम ठेकेदार लेकर उसकी प्रति भारतीय कपास निगम लिमिटेड, इंदौर को भेजेंगे तथा आवश्यकता पडने पर श्रम अधिकारी आदि को उपलब्ध करायेगे ।

10. इस निविदा के बाहर अथवा इससे संबधित किसी प्रकार का विवाद उठता है तो यह माना जायेगा कि वाद कारण इंदौर के क्षेत्राधिकार में उठाया गया है ।

11. वर्क कान्ट्रेक्टर या उसके किसी कर्मचारी को काम के समय पर किसी भी तरह की जनहानि/क्षति/ एवं दुर्घ्टना होने पर निगम किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा । बीमा आदि की पूर्ण जिम्मेदारी वर्क कान्ट्रेक्टर की होगी ।

12. वर्क कॉन्ट्रेक्टर के द्वारा निगम की पल्लिया, त्रिपालों, बारदाना को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुचाया जाता है तो उसकी वसूली बिलों/जमानत राशि में से की जायेगी ।

13. निगम के समस्त कार्यो के लिए जॉब वर्क कॉन्ट्रेक्टर समुचित मात्रा में साधन उपलब्ध करवायेगा । केन्द्र पर किसी भी प्रकार का मतभेद होने पर जॉब वर्क कॉन्ट्रेक्टर, केन्द्र प्रभारी का निर्णय मानने के लिए बाध्य होगा ।

14. श्रम ठेकेदार पर्याप्त मात्रा में कार्यस्थल पर लेबर श्रमिको की उपलब्धता नियत समयावधि में सुनिश्चित करेगा एवं कार्य नियत समय में पूर्ण करेगा

15. वर्क कॉन्ट्रेक्टर आवश्यकता पडने पर अपने क्षेत्र निरीक्षक के समक्ष अपने नामांकन का लाईसेस/दस्तावेज प्रस्तुत करेगा । वर्क कॉन्ट्रेक्टर न्यूनतम वर्क एक्ट ,वर्क क्षतिपूर्ति नियम एवं बालमजदूरी अधिनियम का अनुपालन हेतु कानूनी दायित्व के लिए पूर्ण जिम्मेदार होगा जिसमें समय से भुगतान भी शामिल है । किसी भी प्रकार के नियमों की अवहेलना/उल्लंघन करने पर निगम को आवश्यक भुगतान करने व नुकसान की राशि वर्क कॉन्ट्रेक्टर के बिलों से /जमानत राशि से वसूल करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

16. प्राप्त केन्द्र की दरें निगम द्वारा लिए गये केन्द्र के आस-पास लगभग 15 से 20 किलोमीटर तक के गोदामें पर लागू रहेगी ।

17. दरें सभी करो के साथ होना चाहिए एवम GST को छोड़कर (Excluding GST) ।

18. प्रत्येक बिल भुगतान में से 10% राशि काटी जायेगी तथा धरोहर राशि सम्पूर्ण कार्य निष्पादन के बाद बिना किसी ब्याज के वापस की जायेगी ।

19. **मध्यस्थता:**
किसी भी विवाद की स्थिति में यह अनुबंधबी.ओ.: INDORE.at INDORE के क्षेत्राधिकार के अधीन है।

इस संविदा से सम्बन्धित कोई विवाद उठता है तो यह विवाद मध्यस्थता के लिये किसी मध्यस्थ (जो निगम का कर्मचारी नहीं होगा) को सौपा जायेंगा । मध्यस्थ की नियुक्ति सबंन्धित शाखा का शाखा प्रबन्धक करेगा और मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा । मध्यस्थता एवं समाधान अधिनियम 1996 तथा उसके बाद किसी सांविधिक पुन: अधिनियम तथा संशोधन के प्रावधान के अनुसार नियंत्रित और आयोजित किया जायेगा ।

20. उपरोक्त उल्लेंखित किसी भी नियम एवं शर्तो का अगर जॉब वर्क ठेकेदारों द्वारा उल्लंधन किया जाता है या ठेकेदार निगम के किसी कार्य का निष्पादन संतोषजनक रूप से करने में असफल रहता है तो **निगम को ठेकेदार का ठेका निरस्त करने तथा प्रतिभूति राशि जब्त करने का अधिकार होगा तथा निगम वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु स्वतंत्र होगा तथा जॉब वर्क ठेकेदार को भविष्य में निगम के कार्य का ठेका नही दिया_जायेगा तथा निगम को यह अधिकार होगा कि वह 3 दिन का नोटिस देकर इस अनुबन्ध को रद्द कर** सकता है एवं 2 फसल वर्ष के लिए निगम के कार्य से प्रतिबंधित रहेगा| **किसी भी विवाद की स्थिति में यह अनुबंधबी.ओ.: INDORE.at INDORE के क्षेत्राधिकार के अधीन है।**

यदि निविदाकर्ता किसी कार्य विशेष को निर्धारित समय में पूरा करने में असफल रहता है तो निगम को उस कार्य विशेष को किसी अन्य ठेकेदार/व्यक्ति से करवाने के निगम को एकाधिकार प्राप्त रहेंगे तथा उक्त ठेकेदार/व्यक्तिको भुगतान की गई अधिक राशि को निगम अनुबंधित ठेकेदार से वसूल करेगा ।

21. मैं/हम प्रीमियम का भुगतान करके बीमा कंपनी के साथ श्रमिक बीमा पॉलिसी लेने के लिए सहमत हैं और हम इसके लिए निगम से किसी भी राशि का दावा नहीं करेंगे। अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी दुर्घटना के लिए निगम किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है और मैं/हम इसके लिए निगम से किसी मुआवजे का दावा भी नहीं करेंगे।

22. मैं/हम, निगम को क्षतिपूर्ति देने का वचन देते हैं कि निगम के विरुद्ध किसी भी कामगार द्वारा दायर किए गए किसी भी कानूनी मुकदमे के मामले में, निगम मुझसे/हमसे इसकी वसूली करने के लिए अधिकृत है।
23. मैं/हम, श्रम कानून अधिनियम, कारखाने, दुकानों और स्थापना अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रमिक पुरुषों के प्रावधानों इत्यादि का अनुपालन न करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा लगाए गए किसी भी जुर्माने/दंड की भरपाई करने का वचन देते हैं। मुआवजा अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, बच्चों और महिलाओं को रोजगार देने से संबंधित प्रावधान आदि। मैं/हम इसके लिए जिम्मेदार होंगे। ऐसे किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर ठेकेदार पर कानून के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
24. संबंधित जॉब वर्क ठेकेदार की लापरवाही/मजदूरों की आपूर्ति न करने के कारण निगम को होने वाली हानि के मामले में, निगम अन्य जॉब वर्क ठेकेदार के माध्यम से कार्य कराएगा और यदि निगम को कोई नुकसान हुआ है तो उसकी वसूली संबंधित ठेकेदार से की जाएगी। मूल कार्य ठेकेदार के बिल/ईएमडी/सुरक्षा जमा। ऐसे ठेकेदार को अगले दो कपास सीज़न के लिए निगम के साथ व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
25. जब भी श्रम विभाग या कोई अन्य सरकार। एजेंसियां मजदूरों से संबंधित रिकॉर्ड या दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग करती हैं। मैं/हम इसे सर्वोत्तम संतुष्टि के साथ उत्पादित करने की जिम्मेदारी लेते हैं
26. जॉब वर्क ठेकेदार को जो भी भुगतान निगम से प्राप्त होगा उसके संदर्भ में प्रमाण-पत्र देगा कि उसके द्वारा अपने श्रमिकों को भुगतान कर दिया गया है ।

स्थान _____ **जॉब वर्क ठेकेदार के** मुहर सहित **हस्ताक्षर** _____

दिनांक _____ **जॉब वर्क ठेकेदार का नाम व पता** _____

_____

केन्द्र का नाम _____

गवाह

1. **प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम, पता एवं हस्ताक्षर**

_____
_____
_____

2. **प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम, पता एवं हस्ताक्षर**

_____
_____
_____